महत्वपूर्ण एवं खास

स्व-सहायता समूहों को ऋण एवं आरएफ वितरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान

कलेक्टर भीम सिंह ने तीन लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में स्व-सहायता समूहों को ऋण एवं आरएफ वितरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए अमित कुमार गायंकर, शैल पाण्डे एवं वेणुका दीवान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल भी साथ रहे। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत पुसौर के एडीईओ अमित कुमार गायंकर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण में समूहवार 104 प्रतिशत व राशिवार 129 प्रतिशत की उपलब्धि पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्व-सहायता समूहों को आरएफ, सीआईएफ वितरण, समूह में गठन में उपलब्धि तथा व्हीओए ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर के रूप में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पीआरपी जनपद पंचायत घरघोड़ा वेणुका दीवान को प्रशस्ति प्रदान किया गया। छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक चिखली के शाखा प्रबंधक शैल पाण्डे को स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया।

रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत रायगढ़ जिले के लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में संचालित प्रशिक्षण में डोमेस्टिक डाटा एंट्री आपरेटर एवं ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में नि:शुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 10 वीं व 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिक्षार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जायेगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ मोबाईल नं 9752658995 एवं 9343985640 से संपर्क कर सकते है।

इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक व ड्रायवर कम मैकेनिक के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण 10 मार्च तक कर सकते है आवेदन जमा

रायगढ़। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक, ड्रायवर कम मैकेनिक कोर्स का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है। इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक कोर्स हेतु 8 वीं उत्तीर्ण व ड्रायवर कम मैकेनिक हेतु 5 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, रोजगार पंजी प्रमाण-पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ 10 मार्च 2022 सायं 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते है। यह प्रशिक्षण रायगढ़ जिले के अंतर्गत आवेदकों के लिए है।

बिना लाईसेंस के संचालित अस्पतालों पर करें कार्यवाही

कलेक्टर भीम सिंह ने समय-सीमा बैठक में दी निर्देश

रायगढ़। जिले में जितने भी अस्पताल चल रहे है, उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट के तहत अपना पंजीयन करवाया है अथवा नहीं इसकी जांच की जाए। बिना पंजीयन के संचालित हो रहे अस्पतालों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी करते हुए, आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बिना लाईसेंस के अस्पताल संचालन करना गैर कानूनी है। ऐसे सभी अस्पतालों पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर सिंह ने समय-सीमा की बैठक में जिले में चल रहे शासकीय योजनाओं तथा विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने वन अधिकार पत्र वितरण हेतु चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम आवेदनों का ग्राम सभा व वार्ड सभा से अनुमोदन करवाकर एसडीएलसी समिति से

जिला स्तर पर आगे की कार्यवाही के लिए भेजने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर अनुविभाग स्तर से सभी अनुमोदित प्रकरण जिले को भेजे जाए। कलेक्टर सिंह ने धान उठाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में शेष बचे धान का जल्द उठाव पूरा करवाने के लिए डीएमओ को निर्देशित किया। केसीसी निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने लीड बैंक मैनेजर के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन व उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को तेजी से प्रकरणों को स्वीकृत करवाते हुए अधिक संख्या में केसीसी निर्माण के लिए निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने खनिज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में अवैध रेत उत्खनन पर नियमित कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। साथ ही रेत की कीमतों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बाजार में रेत निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए ऐसे स्कूल, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य केन्द्र जहां रनिंग वाटर सप्लाई का कार्य शेष है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने घरेलू नल कनेक्शन की संख्या भी तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी एसडीएम से नगरीय निकाय व ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की कार्यवाही जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल,अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़ायें

कलेक्टर सिंह ने गौठान संचालन की समीक्षा की और जिले में संचालित स्वावलंबी गौठानों की जानकारी ली। कृषि अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 279 गौठान स्वावलंबी हो चुके है, यह प्रदेश में सर्वाधिक है। कलेक्टर सिंह ने शेष गौठानों को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में संचालित मल्टी एक्टीविटी सेंटर्स के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने यहां समूहों द्वारा तैयार उत्पाद को रायगढ़ के नटवर स्कूल के सामने संचालित 'सी-मार्ट' में विक्रय हेतु भेजने के लिए कहा। स्थानीय स्तर पर भी समूहों के उत्पाद के मार्केट लिंकेज व उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी गौठानों को सक्रिय रूप से संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी व वर्मी कम्पोस्ट निर्माण तथा हितग्राहियों के भुगतान की विकास खण्डवार जानकारी ली। उन्होंने रबी फसल के मद्देनजर वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए कृषि अधिकारी को निर्देशित किया।

अवैध रूप से शराब बेच रहे आरोपी से 27 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। दिनांक 22/02/2022 के सुबह करीब 07.00 बजे थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल को मुखबिर से सूचना मिला कि कोड़ापारा नगर पंचायत बरमकेला ऑफिस के पीछे महावीर कोड़ाकू नाम का व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपने पेट्रोलिंग स्टाफ को कार्यवाही के लिए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रवाना किया गया, पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा नगर पंचायत ऑफिस के पीछे घेराबंदी कर शराब बिक्री कर रहे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। आरोपी युवक अपना नाम महावीर कोडाकू पिता गंगाधर कोडाकू उम्र 25 साल निवासी ग्राम कोड़ापारा थाना बरमकेला के पास दो 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के डिब्बा में महुआ शराब पाया गया इसके एक डिब्बे में 14 एवं एक में 13 लीटर कुल 27 लीटर महुआ शराब ₹5400 की जब्ती की गई है। आरोपी महावीर कोडाकू पर थाना बरमकेला में आबकारी

एक्ट की धारा 34(2),59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर CJM कोर्ट रायगढ़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी बरमकेला के साथ कार्यवाही में हेड कांस्टेबल शंभू पांडे कांस्टेबल नंदकुमार चौहान, दिगंबर पटेल, कृष्णा डनसेना की प्रमुख भूमिका रही है।

ढाबा संचालक की लापरवाही से सफाई कर्मी की करंट की चपेट में आने से मौत

छाल पुलिस ने ढाबा संचालक को संगीन धाराओं पर किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा आज दिनांक 22.02.2022 को लापरवाह ढाबा संचालक को धारा 304 IPC, 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी ढाबा संचालक बिजली खम्भा से अवैध कनेक्शन कर अपने ढाबा में बिजली उपयोग कर रहा था। सफाई के दौरान ढाबा का कर्मचारी विपत राम चौहान करंट की चपेट में आकर फौत हो गया था। मर्ग जांच पर ढाबा संचालक की लापरवाही उजागर हुई। घटना के संबंध में थाना छाल में

दिनांक 31.12.2021 के शाम मृतक विपत राम चौहान पिता ठाकुर राम चौहान उम्र 45 वर्ष साकिन पुरूंगा खाले पारा छाल की बेटी अपने परिजनों के साथ थाना आकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज करायी कि करीब दो-तीन माह से इसका पिता कूड़केला A-1 ढाबा में साफ सफाई का काम करता था। दिनांक 31.12.21 के दोपहर करीब डेढ़ दो बजे ढाबा संचालक का भाई अजय गुप्ता निवासी पुरूंगा घर आकर बताया कि पिता जी (विपत राम चौहान) ढाबा के घेरा के तार में कपड़ा सुखाने गया था जहां कपड़ा सुखाते समय तार में करेंट का झटका लगने से गिर गया है। उसके करीबन आधा घंटा बाद अजय गुप्ता का भाई विजय गुप्ता कार से पिता विपत राम चौहान के शव को घर पहुंचाया। शव के दाहिने हाथ की कलाई के पास करेंट से जलने का चिन्ह था। घटना के संबंध में मर्ग क्रमांक 46 / 2021 धारा 174 CrPC कायम कर जांच में लिया गया।

थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा मृतक के वारिसान एवं गवाहों के कथन लेकर कनिष्ठ यंत्री छ.रा.वि.लि.कंपनी लिमिटेड ऐडु से घटनास्थल का निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जिन्होंने ढाबा में अवैध कनेक्शन सर्विस वायर लगाकर विधुत प्रवाहित करने के कारण विपत राम चौहान की मृत्यु होना रिपोर्ट में लेख किया गया है। मर्ग जांच पर कुडेकेला A - 1 ढाबा के संचालक आरोपी विजय गुप्ता पिता शिव प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी कुडेकेला के विरूद्ध धारा 304 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

वाट्सएप पर क्युआर कोड भेजकर धोखाधड़ी व केवाईसी सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ठग ने निकाले खाते से रूपये

दानो मामले में पुसौर व कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज

ऑनलाइन रुपये ट्रांजेक्शन में सावधानी बरतने की जरूरत

रायगढ़। दिनांक 22.02.2022 को थाना कोतवाली एवं पुसौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें पीड़ितों द्वारा दर्ज कराया गया है। थाना कोतवाली में रिपोर्टकर्ता पीयूस अग्रवाल पिता मोहनलाल अग्रवाल निवासी गांधीगंज रायगढ़ द्वारा दिनांक 11.02.2022 को PVC पाईप खरीदने के नाम से बैंक खाता से रकम ठगी करने के संबंध में धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में

लिखित आवेदन दिया गया है।

रिपोर्टकर्ता पीयूस अग्रवाल बताया कि यूनियन बैंक आफ इंडिया ईतवारी बाजार रायगढ़ में बैंक खाता है दिनांक 11.02.2022 PVC पाईप के आर्डर के लिये दो मोबाईल नम्बर से कॉल आया जो 40 नग पाईप लेकर उसके बताये पते पर पहुंचाया किन्तु उस स्थान पर कोई नहीं था। अज्ञात व्यक्ति नलाईन पेमेंट करूंगा कहकर व्हाटअप पर एक QR कोड भेजा और बोला कि इसे स्कैन करने पर आपके खाते में पैसा आ जावेगा, QR कोड स्कैन करने पर पीयूस अग्रवाल के खाते से कुल 99,732 रुपये आहरण हो गया।

थाना पुसौर में रिपोर्टकर्ता पोषण लाल बघेल पिता ए.पी. बघेल बताये कि एनटीपीसी लारा में टाउनशीप टी.ए.डी. विभाग में कार्यरत है। दिनांक 31/01/2022 को कुलदीप अग्रवाल नामक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से कॉल कर बोला कि बीएसएनएल ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल का केवाईसी समाप्त हो गया है जिसको अपडेट करने के लिये मोबाईम में बीएसएनएल केवाईसी सपोर्ट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कर 10 रूपये का SBINET BANKING के द्वारा ट्रांजेक्शन कीजिए। जिसके बाद पोषणलाल बघेल के खाते से 99,000 रूपये का चार बार अलग अलग एवं 22,000 रूपये का एक बार कुल रकम 4, 18,000 रूपये (चार लाख अठ्ठारह हजार रूपये) का ट्रांसफर हो गया। दोनों मामलों में पुलिस अज्ञात व्यक्तियों पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

वृद्ध महिला ने घरघोड़ा थाने में अधेड़ व्यक्ति पर दर्ज कराई दुष्कर्म की रिपोर्ट

एफआईआर के महज कुछ ही घंटों में आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 21.02.2022 के शाम घरघोड़ा क्षेत्र की एक वृद्ध महिला थाना घरघोड़ा आकर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह को पंचुराम राठिया निवासी घरघोड़ा द्वारा दिनांक 19.02.2022 की रात्रि घर अंदर घुसकर बल पूर्वक दुष्कर्म करना बताई। थाना प्रभारी द्वारा महिला विवेचनिकारी से पीड़ित महिला का एफआईआर दर्ज कराया गया। पीड़िता एफआईआर में बताई कि दिनांक 19.02.2022 की रात्रि खाना खाकर घर में अकेली सो रही थी, करीब 11.00 बजे पंचुराम राठिया दरवाजा को धकेल कर अंदर आ गया और छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध करने पर मारपीट कर बलपूर्वक डरा धमका कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया, रात को पीड़िता घटना अपने पडोसियों को जाकर बताई। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अप.क्र. 45/2022 धारा 458,506,323,376 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया।

थाना प्रभारी घरघोड़ा अमित सिंह द्वारा संवेदनशील मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा को देते हुये उनके मार्गदर्शन पर तत्काल कार्यवाही करते हुये आरोपी के फरार होने के पूर्व उसके घर दबिश दिया गया, जहां से आरोपी पंचुराम राठिया उम्र 39 वर्ष निवासी थानाक्षेत्र घरघोड़ा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी पूछताछ में स्वीकार किया गया है, जिसे आज दिनांक 22.02.2022 को अपराध दर्ज के महज 12 घंटे के भीतर घरघोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक अमित सिंह, थाना प्रभारी घरघोड़ा, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, आरक्षक नंदू पैंकरा, बीरबल भगत की विशेष भूमिका रही है।

शहीद की बेटी के जन्मोत्सव पर केक और गिफ्ट लेकर पहुंचे थाना प्रभारी

रायगढ़। पुसौर पुलिस अपने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना, एडिशनल एसपी लखन पटले तथा पर्यवेक्षण अधिकारी एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन पर अपने कार्यों से क्षेत्रवासियों का दिल जीत रही है। पुसौर से 'खाकी' की ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। आज दिनांक 22.02.2022 को थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव शहीद शिवकुमार सिदार के घर ग्राम तिलगी उसकी बेटी का जन्मदिन मनाने अचानक उसके घर पहुंचे। थाना प्रभारी को शहीद की बिटिया का आज जन्म दिन होने की जानकारी मिलने पर मिठाई, केक और गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचे। इस साल शहीद की बेटिया का जन्मदिन खास अंदाज में उसके घर पर मनाया गया। पुलिस अंकल से मिठाई, गिफ्ट और केक पाकर बच्ची तो मासूम का चेहरा खुशी खिल उठा। परिवार ने भी थाना प्रभारी और स्टाफ का आभार व्यक्त किये। उप निरीक्षक गिरधारी साव शहीद

की बेटी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देकर अपने परिजनों के साथ थाना घूमने आने आमंत्रित किया गया।

पूंजीपथरा पुलिस की वाहन चेकिंग दौरान 20 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी

शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये दो चालकों को किया गया कोर्ट में पेश

यातायात पुलिस द्वारा कोर्ट पेश किये गये दो वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर यातायात पुलिस के साथ थाना, चौकी प्रभारीगण अपने-अपने क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन करने चालानी कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अधिक से अधिक कार्रवाई के दिये गये निर्देशों पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा प्रतिदिन अपने स्टाफ के साथ हाइवे पर वाहन चेकिंग की जा रही है। कल दिनांक 21.02.2022 को टीआई पूंजीपथरा कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में शाम करीब 17.30 बजे ग्राम उज्जलपुर फुटहापुल के पास पूंजीपथरा पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दरम्यान मुखबिर द्वारा फुटहापुलिया जंगल तरफ से ग्राम उज्जलपुर के नंदकुमार निषाद को प्लास्टिक जरीकेन में अवैध महुआ शराब लेकर बिक्री के लिये

लाये जाने की सूचना दिया। सूचना पर कार्रवाई करते हुये अंजनी प्लांट के पास उज्जलपुर रोड में आरोपी नंद कुमार निषाद पिता घनश्याम निषाद उम्र 20 वर्ष निवासी उज्जलपुर को पुलिस टीम द्वारा 20 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपी पर थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिमसोन मिंज, प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर, आरक्षक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, नरेश रजक, विरेन्द्र कंवर, अनूप मिंज, भगवती रत्नाकर, विद्याधर सिदार की अहम भूमिका रही है। वाहन चेकिंग दौरान पूंजीपथरा पुलिस टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चला रहे (1) टिकलू राठिया पिता जेठू राठिया उम्र 28 वर्ष निवासी तुमीडीह (2) धनंजय कुमार पिता रविन्द्र कुमार उम्र 28 वर्ष निवासी करगी जिला महासमुंद पर धारा 185 MV Act की कार्रवाई की गई है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कल विभिन्न थाना क्षेत्र अन्तर्गत 47 व्यक्तियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर 11,500 रूपये जुर्माना राजस्व खाते में जमा कराया गया है। वहीं यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये दो वाहन चालकों पर धारा 185 MV Act की कार्रवाई कर कल दिनांक 21.02.2022 को इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया था दोनों वाहन चालक- (1) दिलीप धनवार पिता वाम कुमार उम्र 25 साल निवासी परसदा (2) मुकेश साय पिता मान साय उम्र 26 साल निवासी डीपापुगनगर जशपुर को ₹10,000-₹10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480